भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2737
04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- कृषि भूमि का संरक्षण
2737. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि
(क) क्या सरकार के पास औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटन या अन्य गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए सिंचित/बहु-फसलीय और कमांड क्षेत्र की भूमि सहित कृषि भूमि के अन्यत्र उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति या दिशा-निर्देश हैं;
(ख) क्या सरकार की यह नीति कि राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 में निहित सिद्धांत, जिसमें यह सिफारिश की गई है कि विकास परियोजनाएं बंजर भूमि या निम्नीकृत भूमि पर स्थित होनी चाहिए तथा बहु-फसलीय कृषि भूमि का अधिग्रहण बिल्कुल न्यूनतम रखा जाना चाहिए, जारी हुए हैं;
(ग) क्या सरकार ने विगत पाँच वर्षों के दौरान गोवा में गैर-कृषि उपयोग के लिए परिवर्तित की गई कृषि और कमांड क्षेत्र की भूमि की सीमा का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,
(घ) क्या सरकार ने निवेश या विकास के नाम पर उपजाऊ कृषि और कमांड क्षेत्र की भूमि के अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए राज्यों को कोई परामर्श जारी किया है, और
(ङ) खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि के हित में ऐसी भूमि की रक्षा के लिए क्या उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार, भूमि और कृषि, राज्य के विषय हैं। तदनुसार, भूमि का नियमन, भूमि उपयोग तथा कृषि भूमि का औद्योगिक या अन्य गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए रूपांतरण संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के विशिष्ट कानूनों द्वारा शासित होता है।

राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007 में यह अनुशंसा की गई थी कि विकास परियोजनाएं यथासंभव बंजर भूमि, अविकसित भूमि या असिंचित भूमि पर ही शुरू की जानी चाहिए और गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सिंचित एवं बहुफसली कृषि भूमि का अधिग्रहण न्यूनतम रखा जाना चाहिए तथा यथासंभव नहीं किया जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप, केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया, जो दिनांक 01.01.2014 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण, मुआवजे, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा निर्धारित करता है, जिसमें बहुफसली सिंचित भूमि के अधिग्रहण से संबंधित सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। अधिनियम के तहत, अधिग्रहण से पहले इसका सामाजिक प्रभाव का आकलन अनिवार्य है ताकि आजीविका, कृषि पद्धतियों और खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। जहां कहीं भी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए मौद्रिक मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ, और कुछ मामलों में भूमि के बदले भूमि का मुआवजा आदि सहित क्षतिपूर्ति तंत्र प्रदान किए जाते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार, कृषि भूमि; जिसमें कमांड क्षेत्र की भूमि, गोवा सहित पूरे देश में गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित की गई भूमि शामिल है, संबंधी आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ड.) भारत सरकार सतत कृषि विकास, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से, उपयुक्त नीतिगत उपायों और योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को समर्थन प्रदान करती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू कर रहा है, जिनमें राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शामिल हैं। ये पहलें सतत कृषि पद्धतियों, प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग, मृदा और जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और कृषि उत्पादकता में वृद्धि को बढ़ावा देती हैं, जिससे संतुलित और सतत विकास में योगदान होता है, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित किया जाता है।

भूमि संसाधन विभाग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वॉटरशेड विकास घटक को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा सिंचित/खराब भूमि का विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में मेड़बंदी क्षेत्र का उपचार, जल निकासी व्यवस्था का उपचार, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पौध संवर्धन, चारागाह विकास, भूमि की आजीविका/आय क्षमता में सुधार आदि शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत उठाए गए कदम सरकार द्वारा कृषि योग्य क्षेत्र बढ़ाने के प्रयासों में सहायक हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषि योग्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए कई तकनीकी उपाय विकसित किए हैं। इनमें वर्षा जल के बहाव से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए स्थान-विशिष्ट जैव-इंजीनियरिंग, रेत के टीलों (सैंड ड्यून) का स्थिरीकरण और वायु अपरदन को रोकने के लिए आश्रय पट्टी (शेल्टर बेल्ट) तकनीक तथा देश की अनुपजाऊ मृदा के लिए सुधार तकनीक शामिल हैं। आईसीएआर ने जिप्सम प्रौद्योगिकी पैकेज भी विकसित किया है, जिसमें भूमि समतलीकरण, मेड़बंदी, जल निकासी, अतिरिक्त जल की निकासी, उत्तम गुणवत्ता वाले सिंचाई जल की उपलब्धता, सुधारकों का प्रयोग, फसलों का चयन और कुशल पोषक तत्व प्रबंधन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आईसीएआर निम्नीकृत मृदा में सुधार और उन्हें फसल उत्पादन के अंतर्गत लाने के लिए कई कृषि संबंधी उपाय करता है, जिनमें मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन शामिल है, जिसके लिए पौधों के पोषक तत्वों के अजैविक और जैविक स्रोतों (जैसे खाद, जैव उर्वरक आदि) का संयुक्त उपयोग किया जाता है, तथा मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता में गिरावट को रोकने के लिए स्थान-विशिष्ट मृदा एवं जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।

भूमि उपयोग सांख्यिकी वर्ष 2024-25 के अनुसार, सकल फसल क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 में 198.28 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 225.19 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण फसल सघनता में भी निरंतर सुधार हुआ है, जो वर्ष 2014-15 में 142.2% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 159.7% हो गया है। यह बहु-फसली खेती की ओर सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, जिससे किसानों की एक ही भूमि पर प्रतिवर्ष एक से अधिक बार खेती करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2014-15 में 252.02 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान) में 376.56 मिलियन टन हो गया है, जबकि बागवानी उत्पादन वर्ष 2014-15 में 280.98 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान) में 377.77 मिलियन टन हो गया है।
